Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **अलवर में पुलिस थाना कोतवाली का कानिस्टेबल 25 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *27 जून, सोमवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर नगर द्वितीय इकाई द्वारा आज अलवर में कार्यवाही करते हुये सहीराम कानिस्टेबल, पुलिस थाना कोतवाली, अलवर शहर को परिवादी से **25 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर नगर द्वितीय इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके पुत्रों के विरूद्ध पुलिस थाना कोतवाली अलवर में दर्ज एस.टी.एस.सी. के प्रकरण जिसकी जांच उप अधीक्षक पुलिस एस.टी./एस.सी. सैल, अलवर कर रहे हैं, में एफआर लगवाने की एवज में सहीराम कानिस्टेबल, पुलिस थाना कोतवाली, अलवर शहर द्वारा **50 हजार रुपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जयपुर नगर द्वितीय के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राजपाल गोदारा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री अभिषेक पारीक** एवं उनकी टीम द्वारा अलवर में ट्रेप कार्यवाही करते हुये सहीराम पुत्र श्री शिब्बासिंह निवासी डीग, जिला भरतपुर हाल कानिस्टेबल, पुलिस थाना कोतवाली, अलवर शहर को परिवादी से 25 **हजार रुपये की रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।